

# कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी



पत्रांक:- 1910 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, जनवरी, 04, 2017.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- बगोली कोटी मोटर मार्ग का विस्तार में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 3315/12-1 दिनांक 30.12.2016


महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा वॉच्छित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार से किया गया है:-

क्र.सं.	आपत्तियाँ	उत्तरालेख
1	In reply to this office EDS dated 03-08-2016 the KML file and geo-referenced digital map for the area proposed for CA has been uploaded at I. Part-I online, showing the coorrect extent of the area but the decision support System (DSS) analysis shows that 1.00 ha area falls in moderately Dense Forest (MDF) which is not considered suitable for CA. May replace 1.00 ha area of MDF With some other area suitable for CA. Revised digital map and Sol toposheet map may also be uploaded/provided accordingly.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से सम्बन्धित 4.438 है0 का संशोधित जी0आई0एस0 मैप बनाकर पार्ट-1 के क्रम संख्या L(iv) and (iv), 0A KML file L (iv) के C में अपलोड कर दिया गया है।  (संलग्नक:- 2 पेज 2 से 3)
2-	The detail of non-forest land proposed for the project may be filled in online Part-I column -B 2.4	उक्त आपत्ति के संदर्भ में अवगत कराना है कि पार्ट-1 के Para A-1 (ix) Edit Mode esa uk gksus ds dkj.k Non-Forest land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पा रही है। Non-Forest land की प्रविष्टि करने हेतु Forest Technical Contact Telephone No- 011-24695407 पर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि Non-Forest land की प्रविष्टि करने हेतु आपको प्रस्ताव withdraW कर पुनः आन-लाईन किया जायेगा तो वन भूमि हस्तान्तरण/सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की पूर्ण सम्भावना बनी रहेगी।  अतः महोदय से निवदेन है कि उक्त आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 04 पेज।

भवदीय,

  
(जी0के0रस्तोगी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

# ॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 3315 / 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, दिसम्बर, 30 /2016

सेवा में,

वन संरक्षक,  
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,  
पौड़ी।

विषय :- बगोली कोटी मोटर मार्ग का विस्तार में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग का पत्रांक 3690/10एल0ए0 दिनांक 23.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रस्ताव में आपत्तियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग के माध्यम से किया गया, जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	In reply to this office EDS dated 03-08-2016 the KML file and geo-referenced digital map for the area proposed for CA has been uploaded at I. Part-I online, showing the correct extent of the area but the decision support System (DSS) analysis shows that 1.00 ha area falls in moderately Dense Forest (MDF) which is not considered suitable for CA. May replace 1.00 ha area of MDF With some other area suitable for CA. Revised digital map and Sol toposheet map may also be uploaded/provided accordingly.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से सम्बन्धित 4.438 हे० का संशोधित जी०आई०एस० मैप बनाकर पार्ट-1 के क्रम संख्या L(iv) and (iv) एवं KML file L (iv) के C में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक:- 2 पेज 2 से 3)
2-	The detail of non-forest land proposed for the project may be filled in online Part-I column -B 2.4	उक्त आपत्ति के संदर्भ में अवगत कराना है कि पार्ट-1 के Para A-1 (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-Forest land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पा रही है। Non-Forest land की प्रविष्टि करने हेतु Forest Technical Contact Telephone No- 011-24695407 पर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि Non-Forest land की प्रविष्टि करने हेतु आपको प्रस्ताव withdraw कर पुनः आन-लाईन किया जायेगा तो वन भूमि हस्तान्तरण/सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की पूर्ण सम्भावना बनी रहेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से करने की कृपा करें।

आप अनुरोध है कि प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- प्रस्तावक विभाग की पत्र के साथ संलग्न की प्रति।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग  
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 3690 / 10 एम ए  
सेवा में

दिनांक :- 29/12/2016

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वनप्रभाग  
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- बगोली कोटी मोटर मार्ग का विस्तार में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- EDS दिनांक 24.10.2016 एवं दिनांक 16.11.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषय के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	In reply to this office EDS dated 03-08-2016 the KML file and geo-referenced digital map for the area proposed for CA has been uploaded at I. Part-I online. Showing the correct extent of the area but the Decision Support System (DSS) Analysis shows that 1.00 ha area falls in moderately Dense Forest (MDF) which is not considered suitable for CA. May replace 1.00 ha area of MDF with some other area suitable for CA. Revised digital map and sol toposheet map may also be uploaded/provided accordingly.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से सम्बन्धित 4.438 ha का Revised GIS Map बनाकर पार्ट-1 के क्रम संख्या L (v) and (vi) एवं KML File L (iv) के c में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-2 पेज 2 से 3)
2	The detail of non-forest land proposed for the project may be filled in online Part-I column-B 2.4.	उक्त आपत्ति के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पार्ट-1 के Para-A-1 (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-forest land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पा रही है। Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु Forest Technical Contact Telephone No. 011-24695407 पर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया की Non-forest land की प्रविष्टि करने हेतु आपको प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन करना होगा तभी Non-forest land की प्रविष्टि हो पायेगी। महोदय अगर प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन किया जायेगा तो वनभूमि हस्तान्तरण/सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की पूर्ण सम्भावना बनी रहेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से करने की कृपा करें।



अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

29/12/16  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग

जियो रेफेरेंस मैप - जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली-कोटी मोटर मार्ग ( लम्बाई - 6.000 कि०मी०) के विस्तार हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल

Scale - 1:4,000



Legend

- GPS Points
- Proposed CA Land

*Signature*

उपनिवेशिका  
जनपद चमोली

Executive Engineer  
Prov. Division P.W.D.  
Karanprayag (Chamoli)

प्रदेशीय वन अधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गौफस्वर  
(चमोली).

डिजिटल मैप - जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली-कोटी मोटर मार्ग के विस्तार हेतु ( लम्बाई - 6.000 कि०मी०) प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5Km



Legend

Proposed CA Plantation Land

reserve\_forest

reserve\_forest

Reserve Forest

Reserve Forest Boundary

*[Signature]*

प्रान्तीय सड़क लोकार्पण  
कर्मचारी

Executive Engineer  
Prov. Division P.W.D.  
Waranprayag (Chamoli)

प्रमाणित वनाधिकारी  
बद्रीनाथ दत्त प्रयोग गोपेश्वर  
(चमोली)